छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग,
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

//अधिसूचना//

नया रायपुर, दिनांक 22/07/2017

क्रमांक एफ 10–13/2017/16 :– छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 की धारा 33(2)(ठ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 11(2) दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतदद्वारा श्रम कल्याण मंडल के पंजीकृत/अभिदायदाता कर्मचारी के लिए संचालित योजना में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:–

01. **शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना :–**

(अ) **योजना का प्रावधान:–**

(i) योजना का नाम " **शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना 2017**" होगा ।

(ii) योजना के अंतर्गत समस्त पंजीकृत संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों के (बालक/बालिकाओं) को प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के लिए छात्रवृत्ति राशि निम्नानुसार प्रदाय की जावेगी :–

क्र0	कक्षावार विवरण	संशोधित वार्षिक छात्रवृत्ति वृद्धि राशि(छात्र/छात्राएं)
1	कक्षा 01 से 08 वी तक।	1500
2	कक्षा 09 से 12 वी तक।	3000
3	स्नातक अध्ययन जैसे बी.ए/बी.एस.सी./ बी. कॉम/ आई.टी.आई. डिप्लोमा नर्सिंग।	5000
4	स्नातक स्तर के व्यवसायिक पाठ्यकम जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल आदि।	8000
5	स्नातकोत्तर स्तर।	10000

(iii) योजना का प्रावधान छ.ग.राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगा।

(ब) **योजना हेतु पात्रता:–**

(i) योजना के अंतर्गत श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 के अंतर्गत पंजीकृत/ अभिदायदाता कर्मचारी की दो पुत्र/पुत्री को जो कक्षा 01 से जैसे बी.ए./बी.एस.सी. /बी. कॉम/आई.टी.आई., डिप्लोमा नर्सिंग, स्नातक स्तर के व्यवसायिक पाठयकम जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल आदि, स्नातकोत्तर स्तर को ही पात्रता होगी।

(ii) मंडल में पंजीकृत/अभिदायदाता श्रमिक की छात्र/छात्रा जिसने गत परीक्षा में 50 प्रतिशत् या अधिक प्राप्तांक अथवा ए 1 से सी प्लस ग्रेड तक प्राप्त किये हो को ही योजना का लाभ प्राप्त होगा।

(स) **योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :-**

(i) प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ उपरांत मंडल द्वारा आवेदन आमंत्रित किये जाने हेतु तिथि का निर्धारण पृथक से किया जावेगा।

(ii) आवेदन पत्र में नियोजन/स्कूल, कॉलेज द्वारा अध्ययनरत् कक्षा का सत्यापन के साथ आवेदक छात्र/छात्रा का हस्ताक्षर होना चाहिए।

(iii) निर्धारित प्रारूप में आवेदन श्रम कल्याण मंडल में नियोक्ता के माध्यम से समयावधि के भीतर प्रस्तुत करना होगा।

(iv) योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदनों को स्वीकृति या अस्वीकृत किये जाने का अधिकार कल्याण आयुक्त, छ.ग.श्रम कल्याण मंडल को होगा।

(द) विसंगति का निराकरण:-

(i) इस योजना के संबंध में कोई विसंगति होने पर मंडल के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(ए0केरकेट्टा)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग
नया रायपुर, दिनांक 22/07/2017

पृष्ठांकन एफ 10-13/2017/16

प्रतिलिपि :-

01. विशेष सहायक, माननीय श्रम मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ0ग0)।
02. स्टाफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, छ0ग0 शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ0ग0)।
03. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, द्वितीय तल, खण्ड-03, नया रायपुर (छ0ग0)।
04. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल, प्रवीण भवन 31/520, न्यू शांति नगर, रायपुर (छ0ग0)।
05. कल्याण आयुक्त, छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल, प्रवीण भवन 31/520, न्यू शांति नगर, रायपुर (छ0ग0)।
06. अध्यक्ष, छ.ग.भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, पी-3, सी 244, 245, सेक्टर-27, नया रायपुर (छ0ग0)।
07. सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, पी-3, सी 244, 245, सेक्टर-27, नया रायपुर (छ0ग0)।
08. नोडल अधिकारी, असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल, पी-3, सी 244, 245, सेक्टर-27, नया रायपुर (छ0ग0)।
09. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी ....
10. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा ....
11. उप संचालक शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, नया रायपुर की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

12. गार्ड फाईल।

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग